(वाद संख्या–7687/17)

12.10.2020

परिवादी, श्री मनोज कुमार गुप्ता अनुपस्थित हैं।

प्रसंगाधीन मामला फैक्ट्री से निकलने वाली बदबूदार गैस एवं प्रदुषण से संबंधित है।

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रतिउत्तर की मांग दिनांक **12.10.2020** तक की गई थी साथ–ही–साथ परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि परिवादी निश्चित तिथि को अपना प्रतिउत्तर आयोग के समक्ष समर्पित नहीं करेंगे तो, सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बिहार, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए संचिका को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव के प्रतिवेदनानुसार न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज का पर्षद के पदाधिकारियों द्वारा मिल के पदाधिकारियों के उपस्थिति में स्थल जांच के दौरान पायी गयी त्रुटियों को दर्शाते हुए वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत Proposed Direction निर्गत किया गया है।

अब जबकि, परिवादी का प्रतिउत्तर अप्राप्त है तथा प्रतिउत्तर अप्राप्त रहने के विषय में परिवादी के द्वारा कोई सूचना भी आयोग को प्राप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी के समस्या का निराकरण हो गया है।

अब जबकि, परिवादी को प्रसंगाधीन मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है। अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए, परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक